राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ-4(   )पौ.सं./तक-II/दर अनु./2017-18/ 16140-16222 दिनांक : 11/10/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद –समस्त

परियोजना निदेशक, सी.ए.डी., कोटा

उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– **विभागीय कार्यक्रमों में वर्ष 2017–18 हेतु पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि की आपूर्ति हेतु अनुमोदित दरें भिजवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि कृषकों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्पादवार न्यूनतम अनुमोदित दरें भिजवायी जा रही है। उत्पादवार न्यूनतम अनुमोदित दरों पर आपूर्ति हेतु एल–2 एवं एल–3 निर्माता फर्मों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित दरें परिशिष्ट –1 संलग्न कर भिजवायी जा रही है। आपूर्ति के क्रम में शर्ते निम्नानुसार होगीं।

शर्ते :

(1) उक्त अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रभावी होगीं। किसी भी पंजीकृत निर्माता द्वारा अनुदान के लिए न्यूनतम अनुमोदित दरों पर आपूर्ति क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के विक्रय केन्द्र पर उनकी मांग के अनुसार करनी होगी।

(2) विभागीय कार्यक्रमों में उत्पादवार न्यूनतम अनुमोदित दर पर संबंधित उत्पाद के लिए पंजीकृत समस्त निर्माता (परिशिष्ट–1 के अनुसार) की पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगें।

(3) आदानों को अनुमोदित दरों पर क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्प्स आदि के माध्यम से योजना विशेष के लिए समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जावें।

(4) पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि हेतु पंजीकृत फर्मो का राज्य में विक्रय अनुमति/विक्रय अनुज्ञा पत्र/निर्माण अनुज्ञा पत्र तथा पंजीयन धारक होना अनिवार्य होगा।

(5) पंजीकृत निर्माता द्वारा किसी भी अनियमितता जैसे निम्न गुणवत्ता के पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि की आपूर्ति, फर्जी बिल आदि की स्थिति में अनुज्ञा पत्र/प्राधिकार पत्र/विक्रय अनुमति रद्द करने/ब्लेक लिस्ट करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जायेगी।

F:\BACKUP [illegible] RATE APPROVAL 2017-[illegible] LETTERS 2017-18.DOC

(6) अनुदान पर वितरित किये जाने वाले पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि के प्रत्येक बैच का नमूना अधिकृत निरीक्षक द्वारा आहरित किया जायेगा एवं नमूने के मानक पाये जाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(7) विभागीय योजनाओं में आपूर्तित किये गये पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्ज (आपूर्ति श्रृंखला में तीनों संस्थाओं की सहभागिता की स्थिति में राजफैड को 2 प्रतिशत, केवीएसएस को 2 प्रतिशत एवं जीएसएस/लैम्प्स को 4 प्रतिशत की दर से होगा)। जिन कृषि आदानों की आपूर्ति राजफैड के माध्यम से नहीं की जाती है तथा केवीएसएस एवं जीएसएस सीधे ही कृषि विभाग को कृषि आदान उपलब्ध कराती है तो ऐसी स्थिति में 4 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्ज केवीएसएस व 4 प्रतिशत जीएसएस को देय होगा। यदि आपूर्ति प्रक्रिया में केवल केवीएसएस/जीएसएस अथवा लैम्प्स (दोनों में से एक) ही भाग लेती है तो केवीएसएस/जीएसएस अथवा लैम्प्स को 4 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्ज सम्बन्धित योजना से देय होगा। **परन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे कि संलग्न परिशिष्ट में अंकित उत्पादों की कृषक हेतु अधिकतम विक्रय दर उस उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं हो।**

(8) विभागीय योजनाओं में आवश्यक कृषि आदान (डी.ए.पी. यूरिया, एस.एस.पी., एन.पी.के. आदि के अतिरिक्त) पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि जिनकी दरों का अनुमोदन दर संविदा के माध्यम से किया गया है, उनकी आपूर्ति हेतु राजफैड से एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की मांग पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस आदि परिशिष्ट-1 के अनुसार संलग्न अनुमोदित दरों पर वर्ष 2017-18 में विभागीय योजनाओं में आदान उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वतंत्र होगें।

(9) पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक एवं जैविक खाद आदि की विभागीय योजनाओं में आपूर्ति त्वरित गति से हो सके इस हेतु सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद/सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी अपनी मांग सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस से वार्ता कर ई-मेल के द्वारा सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/राजफैड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करवायेगें। कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त मांग की समय पर आपूर्ति होने के पश्चात् कृषि आदानों के सम्पूर्ण उठाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। अतः सम्बन्धित अधिकारी कृषि आदानों की आवश्यकता का सही आंकलन कर आपूर्ति के लिए अनुरोध प्रेषित करेगें।

(10) विभागीय योजनाओं मे आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सामान्य परिस्थितियों में 7 दिवस में एवं विशेष परिस्थितियों में 3 दिवस में करनी होगी।

(11) पंजीकृत निर्माता विभागीय योजनाओं में विभिन्न संस्थाओं को की गई कृषि आदानों की आपूर्ति की मासिक सूचना संबंधित जिले के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद एवं कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : परिशिष्ट – 1

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

कृषि विभाग राजस्थान DOA

क्रमांक : एफ–4( )पौ.सं. / तक–II / दर अनु. / 2017–18 / 16140-16222 दिनांक : 11/10/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री / मा0 पंचायतीराज मंत्री, राज. सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि उक्त आदानों का वितरण क्रय विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी करने का श्रम करावें तथा सहकारी समितियों को संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्रेषित मांग के अनुसार आदानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
7. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर ....
9. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / विस्तार / अनुसंधान / एनएमओओपी) मुख्यालय जयपुर।
11. समस्त ऐरिया आफिसर्स एवं संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन / योजना / उर्वरक / पौध संरक्षण / गु. नि. / ज.उ.प्र. / शस्य एटीसी / प्र.एवं मू. / सांख्यिकी) / उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार,चारा विकास)
12. उप सचिव, किसान आयोग, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड समस्त
14. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त
17. सम्बन्धित निर्माता मैसर्स ....को भेजकर लेख है कि विभाग को फर्म द्वारा दी गई सहमति अनुसार परिशिष्ट – 1 में अंकित आदानों की समय पर आपूर्ति करावें। साथ ही आपूर्ति किये जाने वाले आदानों की गुणवत्ता कीटनाशी अधिनियम 1968 एंव नियम 1971 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित की जावे।

11-10-17

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)
राजस्थान सरकार

E:\BACKUP\12.9.2014\TAWA\RERATE APPROVAL 2017\DRF\LETTERS 2017\DOCX

Annexure-1

List of Approved Firms of Pesticides, Bio Agent, Bio Pesticides, Bio Fertilizers & Micronutrient with their Approved Rates for Subsidy under Departmental Schemes during 2017-18 (price in Rs.)

S.N.	Pesticide	Basic Price 2017-18 (Without Tax)			GST			Total Prices inculding GST			Handling Charges for RAJFED, KVSS & GSS			Maximum sale price for the farmers inclusive All Tax		
	PART - A (PP CHEMICALS)															
1	*Alachlor 50% EC*	*500 ml*	*1 Lt.*	*5 Lt.*	*500 ml*	*1 Lt.*	*5 Lt.*	*500 ml*	*1 Lt.*	*5 Lt.*	*500 ml*	*1 Lt.*	*5 Lt.*	*500 ml*	*1 Lt.*	*5 Lt.*
	Central Insecticides & Fertilizers	169.00	237.29	1627.00	30.42	42.71	292.86	199.42	280.00	1919.86	15.95	22.40	153.59	215.37	302.40	2073.45
2	*Chlorothalonil 75% WP*	*50 gm*			*50 gm*			*50 gm*			*50 gm*			*50 gm*		
	Central Insecticides & Fertilizers	48.00			8.64			56.64			4.53			61.17		
3	*Fipronil 5% SC*	*250ML*	*500 ml*	*1 Lt.*	*250ML*	*500 ml*	*1 Lt.*	*250ML*	*500 ml*	*1 Lt.*	*250ML*	*500 ml*	*1 Lt.*	*250ML*	*500 ml*	*1 Lt.*
	Agroking Pesticide Pvt. Ltd.	107.28	223.05	435.48	19.31	40.15	78.39	126.59	263.20	513.87	10.13	21.06	41.11	136.72	284.25	554.98
4	*Spinosad 45 % SC*			*250ml*			*250ml*			*250ml*			*250ml*			*250ml*
	Agroking Pesticide Pvt. Ltd.			750.00			135.00			885.00			70.80			955.80
	PART-B (BIO AGENTS/BIO PESTICIDES)															
5	**Bacillus thuringiensis**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**
	International Panaacea Ltd.			222.00			39.96			261.96			20.96			282.92
	Krishi Vikas Sahkari Samati			222.00			39.96			261.96			20.96			282.92
	Ajay Biotech india ltd			222.00			39.96			261.96			20.96			282.92
6	**Metarhizium Liquid**			**500 ml**			**500 ml**			**500 ml**			**500 ml**			**500 ml**
	International Panaacea Ltd.			76.00			13.68			89.68			7.17			96.85
7	**Verticillium lecanii 1.15%**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**			**1 kg**
	MD Biocoals Pvt. Ltd.			68.00			12.24			80.24			6.42			86.66
	Shri ram solvent extractions pvt ltd			68.00			12.24			80.24			6.42			86.66
	PART-C ORGANIC FERTILIZER															
8	**Vermi Compost**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**
	International Agritech Inputs & Research Industries			285.70			14.29			299.99			24.00			323.98
	MD Biocoals Pvt. Ltd.		182.00			9.10			191.10			15.29			206.39	
	Royal Chemicals & Fertilizers		182.00	285.70		9.10	14.29		191.10	299.99		15.29	24.00		206.39	323.98
9	**PROM**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**		**25 Kg.**	**50 Kg.**
	Royal Chemicals & Fertilizers		259.52	495.24		12.98	24.76		272.50	520.00		21.80	41.60		294.30	561.60
	MD Biocoals Pvt. Ltd			495.24			24.76			520.00			41.60			561.60
10	**Organic Mannure**			**25 Kg.**			**25 Kg.**			**25 Kg.**			**25 Kg.**			**25 Kg.**
	Bharat Chemicals Industries			150.00			7.50			157.50			12.60			170.10
	MD Biocoals Pvt. Ltd.			150.00			7.50			157.50			12.60			170.10
	Royal Chemicals & Fertilizers			150.00			7.50			157.50			12.60			170.10
	PART-D BIOFERTILIZERS/ MICRO-NUTRIENTS															
11	**Bio-Fertilizer - Rhizobium (Liquid Form) CFU minimum 1x10^{x} per ml**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**
	Royal Chemicals & Fertilizers			21.43			1.07			22.50			1.80			24.30
	MD Biocoals Pvt. Ltd.			21.43			1.07			22 50			1.80			24.30
12	**Bio-Fertilizer -Azotobactor (Liquid Form) CFU minimum 1x10^{x} per ml**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**			**250 ml.**
	Royal Chemicals & Fertilizers			21.43			1.07			22.50			1.80			24.30
	MD Biocoals Pvt. Ltd.			21.43			1.07			22.50			1.80			24.30

S.N.	Pesticide	Basic Price 2017-18 (Without Tax)				GST				Total Prices Inculding GST				Handling Charges for RAJFED, KVSS & GSS				Maximum sale price for the farmers inclusive All Tax			
13	**Bio-Fertilizer - P.S.B (Liquid Form) CFU minimum 1x10^{8} per ml**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**
	Royal Chemicals & Fertilizers				21.43				1.07				22.50				1.80				24.30
	MD Biocoals Pvt. Ltd.				21.43				1.07				22.50				1.80				24.30
14	**Potassisum Mobilizing Biofertilizer (KMB) Liquid CFU minimum 1x10^{8} per ml**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**				**250 ml.**
	Royal Chemicals & Fertilizers				20.48				1.02				21.50				1.72				23.22
15	**Mycorrhiza**				**1 Kg.**				**1 Kg.**				**1 Kg.**				**1 Kg.**				**1 Kg.**
	Phalada Agro Research Foundation Pvt. Ltd.				34.20				1.71				35.91				2.87				38.78
	Shri ram solvent extractions pvt ltd				34.20				1.71				35.91				2.87				38.78
	Royal Chemicals & Fertilizers				34.20				1.71				35.91				2.87				38.78
16	**Ferrous Sulphate 19%**			**10 Kg**				**10 Kg**				**10 Kg**				**10 Kg**				**10 Kg**	
	Agro king Pesticides			126.40				6.32				132.72				10.62				143.34	
	Royal Chemicals & Fertilizers			126.40				6.32				132.72				10.62				143.34	
	Udit Overseas Pvt. Ltd.			126.40				6.32				132.72				10.62				143.34	
	Mewar Pesticides and Fertilizers Pvt. Ltd.			126.40				6.32				132.72				10.62				143.34	